

मुख्य परीक्षा

PESA अधिनियम के 30 वर्ष

संदर्भ

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हाल ही में विशाखापत्तनम में PESA महोत्सव: उत्सव लोक संस्कृति का का आयोजन किया गया।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA अधिनियम), 1996 के बारे में -

- यह भूरिया समिति (1995) के बाद 1996 में अधिनियमित एक केंद्रीय कानून है, जिसका उद्देश्य संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में 73वें संवैधानिक संशोधन (पंचायती राज) के प्रावधानों का विस्तार करना है।
- उद्देश्य: ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन, विकेंद्रीकरण और जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- प्रयोज्यता: यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है।
- PESA अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:
 - ग्राम सभा की केंद्रीय भूमिका: ग्राम सभा स्वशासन की मूल इकाई है और उसे रीति-रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति तथा सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
 - प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण: लघु बनोपज (MFP), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा लघु जल निकायों से संबंधित निर्णयों के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य है।
 - लघु बनोपज का स्वामित्व: ग्राम सभाओं को लघु बनोपज पर स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है, जिससे जनजातीय आजीविका को सुदृढ़ किया जाता है।
 - भूमि अधिग्रहण में परामर्श: अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श किया जाना अनिवार्य है।
 - स्थानीय संस्थाओं पर नियंत्रण: ग्राम सभाओं को स्थानीय बाजारों, साहूकारी (धन उधार) तथा ग्राम-स्तरीय विकास योजनाओं पर अधिकार प्राप्त है।
 - पारंपरिक विवाद समाधान: प्रथागत कानूनों एवं पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है।
 - शोषण से संरक्षण: जनजातीय भूमि के हस्तांतरण (विस्थापन) तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा शोषण को रोकने का उद्देश्य रखता है।

महत्व -

- जनजातीय स्वशासन तथा सहभागी लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है।
- जनजातीय पहचान, संस्कृति एवं पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण करता है।
- अनियंत्रित खनन, विस्थापन तथा संसाधन शोषण के विरुद्ध एक विधिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।
- जनजातीय अधिकारों के संरक्षण में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का पूरक है।

PESA अधिनियम, 1996 को मजबूत करने के लिए पहल -

- **PESA- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पोर्टल:** सितंबर 2024 में प्रारंभ किया गया PESA-GPDP पोर्टल अनुसूचित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों तथा संसाधन आवंटन की योजना, ट्रैकिंग एवं निगरानी को समर्थन प्रदान करता है।
- **संस्थागत समर्थन:** पंचायती राज मंत्रालय ने एक समर्पित PESA प्रकोष्ठ (Cell) की स्थापना की है तथा क्षमता निर्माण और अनुसंधान को संस्थागत रूप देने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित कर रहा है।
- **जागरूकता:** पंचायती राज मंत्रालय ने 24 दिसंबर 2024 को PESA दिवस के रूप में मनाया।
- **भाषाई पहुँच:** प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का क्षेत्रीय भाषाओं (जैसे—तेलुगु, मराठी) तथा जनजातीय भाषाओं—संथाली, गोंडी, भीली और मुंडारी—में अनुवाद किया गया है, ताकि सुलभता एवं जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सके।

PESA अधिनियम: सफलता की कहानियां -

- **सशक्त ग्राम सभाएँ (छत्तीसगढ़ – खामधोगी गाँव):** प्रत्येक परिवार से एक पुरुष एवं एक महिला की अनिवार्य भागीदारी ने ग्राम सभा के कार्यकरण को पुनर्जीवित किया, जिसके परिणामस्वरूप वनोपज, मत्स्य पालन, बाँस राफिंग में आजीविका के अवसर सृजित हुए तथा ग्राम की आय में वृद्धि हुई।
- **सतत वनोपज प्रबंधन (हिमाचल प्रदेश – रारंग पंचायत, किन्नौर):** ग्राम सभा ने PESA के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग कर पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से चिलगोजा (पाइन नट) की कटाई का प्रबंधन किया, जिससे समान आय-वितरण और वनों का सतत उपयोग सुनिश्चित हुआ।
- **समुदाय-नेतृत्वित लघु खनिज शासन (तेलंगाना – वडगुडेम गाँव):** ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित एक जनजातीय रेत खनन सहकारी समिति के गठन से वार्षिक ₹40 लाख की आय उत्पन्न हुई, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और स्वरोजगार के लिए उपयोग किया गया।
- **विस्थापन से संरक्षण (राजस्थान – भीम तलाई गाँव, उदयपुर):** ग्राम सभा ने PESA के प्रावधानों का उपयोग कर एक वन्यजीव अभयारण्य परियोजना के अंतर्गत बलपूर्वक बेदखली को रोका, जिससे जनजातीय भूमि, आवास तथा सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा हुई।

PESA कार्यान्वयन में प्रमुख मुद्दे -

- **असमान नियम अधिसूचना:** पाँचवीं अनुसूची के 10 राज्यों में से केवल 8 ने ही PESA नियमों को अधिसूचित किया है, जिससे ओडिशा और झारखण्ड विधिक अस्पष्टता की स्थिति में बने हुए हैं।
- **ग्राम सभा के अधिकारों का क्षमण:** हसदेव अरण्य कोयला खंडों (छत्तीसगढ़) में, खनन के विरुद्ध ग्राम सभा के बार-बार प्रस्तावों के बावजूद खनन तथा वन स्वीकृतियाँ आगे बढ़ाई गईं।
- **क्षमता की कमी:** पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के नेतृत्व में किए गए आकलनों में पाया गया कि PESA पंचायतों के 40% से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियों को स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं थे।
- **कमज़ोर निगरानी तंत्र:** लगभग 63 पाँचवीं अनुसूची जिलों में एक मानकीकृत निगरानी ढाँचे के अभाव से जवाबदेही और प्रवर्तन कमज़ोर पड़ता है।
- **प्रशासनिक प्रतिरोध:** पोलावरम सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश) में, PESA द्वारा अनिवार्य ग्राम सभा की सहमति विवादास्पद बने रहने के बावजूद, क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों के अंतर्गत विस्थापन जारी रहा।

आगे की राह -

- **कानूनी अभिसरण:** PESA को वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के साथ संरेखित किया जाए, ताकि ग्राम सभा की सहमति एकमात्र एवं बाध्यकारी स्वीकृति के रूप में स्थापित हो।
- **स्पष्ट संस्थागत भूमिकाएँ:** उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए—शासन प्रक्रियाओं के लिए पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)

तथा भूमि, वन और आजीविका अधिकारों के संरक्षण हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय।

- **एकरूप नियम ढाँचा:** राज्यों द्वारा अंगीकरण के लिए आदर्श PESA नियमों का निर्माण किया जाए, जिसमें केंद्रीय टेम्पलेट्स के साथ सीमित लचीतापन हो, ताकि प्रावधानों के क्षरण को रोका जा सके।
- **सतत क्षमता निर्माण:** एकमुश्त प्रशिक्षणों से आगे बढ़कर निरंतर मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाए, जैसे—सामुदायिक पैरालीगल्स और 'बेयरफुट' शासन सुविधा प्रदाता।
- **प्रोत्साहन-आधारित अनुपालन:** प्रभावी PESA क्रियान्वयन को वित्तीय प्रोत्साहनों से जोड़ा जाए, जैसे—सुदृढ़ ग्राम सभा-नेतृत्वित शासन प्रदर्शित करने वाली पंचायतों को अधिक अनबद्ध अनुदान प्रदान करना।

स्रोत: [पीआईबी](#)



प्रारंभिक परीक्षा

हिंद महासागर में सुनामी के लिए तैयार गांव संदर्भ

भारत में 100 से अधिक "सुनामी के लिए तैयार(Tsunami Ready)" गांव होंगे, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या है, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- यह पहल UNESCO-IOC सुनामी रेडी कार्यक्रम के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा समन्वित की जा रही है।
- ओडिशा में पहले से प्रमाणित 24 गांवों के अलावा 72 नए गांव जोड़े जाएंगे।
- गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे अन्य तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भी प्रमाणीकरण के लिए गांवों की पहचान की है।
- केरल ने नौ गांवों का प्रस्ताव दिया है, जिन्हें मार्च-अप्रैल 2026 तक प्रमाणित किए जाने की संभावना है।

सुनामी के लिए तैयार गांव(Tsunami Ready Villages) क्या हैं?

- ये यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा निर्धारित सुनामी तैयारी मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित तटीय समुदाय हैं।
- प्रमुख मानदंडों में शामिल हैं:
 - सुनामी जोखिमों के प्रति उच्च सामुदायिक जागरूकता।
 - जोखिम मानचित्रण तथा निकासी मार्गों/मानचित्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन।
 - 24×7 सुनामी चेतावनी प्रणालियों तक पहुँच।
 - नियमित मॉक ड्रिल और समुदाय की भागीदारी।
 - स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ सुदृढ़ समन्वय।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के बारे में -

- यह पृथक्षी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
- यह भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC) का संचालन करता है, जो:
 - वास्तविक समय में वैश्विक भूकंपों की निगरानी करता है।
 - हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सुनामी की चेतावनी जारी करता है।
- INCOIS भारत में UNESCO-IOC की "सुनामी रेडी" पहल को लागू करने वाली नोडल समन्वय एजेंसी है।
 - UNESCO-IOC सुनामी रेडी रिकॉर्डिंग इनार्टमेंट प्रोग्राम (TRRP) एक स्वैच्छिक, अंतर्राष्ट्रीय, समुदाय-आधारित पहल है जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम निवारण और शमन को मजबूत करना है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

LVM-3 रॉकेट

संदर्भ

भारत के सबसे भारी प्रक्षेपण यान LVM-3 ने अपना तीसरा वाणिज्यिक मिशन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया।

प्रक्षेपण यान LVM-3 की विशेषताएं क्या हैं?

- इसरो द्वारा विकसित तीन चरणों वाला भारी-भरकम प्रक्षेपण यान।
- चरण विन्यास:
 - लिफ्ट-ऑफ थ्रस्ट के लिए दो ठोस स्ट्रैप-ऑन बूस्टर (S200)।
 - निरंतर प्रणोदन के लिए तरल कोर चरण (L110)।

- कक्षीय सम्मिलन के लिए क्रायोजेनिक ऊपरी चरण (C25)
- **लिफ्ट-ऑफ द्रव्यमान:** 640 टन।
- **ऊंचाई:** 43.5 मीटर।
- **पेलोड क्षमता:**
 - 4,200 किग्रा से GTOI
 - 8,000 किलोग्राम से LEO (लगभग)।
- **LVM-3 द्वारा किए गए विभिन्न प्रक्षेपण:** चंद्रयान-2(2019), चंद्रयान-3(2023), वनवेब मिशन (2022-23)।

इसरो के अन्य प्रक्षेपण यान कौन से हैं?

- **पीएसएलबी (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान):** एलईओ और एसएसओ मिशनों के लिए वर्कहॉस रॉकेट।
 - छोटे-मध्यम उपग्रहों की उच्च विश्वसनीयता और वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है।
- **जीएसएलबी एमके-II:** स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन के साथ जीटीओ मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **एसएसएलबी (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान):** LEO में छोटे उपग्रहों के त्वरित, कम लागत वाले प्रक्षेपण के लिए अनुकूलित।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

किम्बरले प्रक्रिया

संदर्भ

किम्बरले प्रक्रिया(KP) की पूर्ण बैठक ने भारत को 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता संभालने के लिए चुना है।

किम्बरले प्रक्रिया के बारे में -

- कच्चे हीरों के व्यापार को विनियमित करने के लिए सरकारों, हीरा उद्योग और नागरिक समाज को शामिल करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय, त्रिपक्षीय पहला।
- **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों द्वारा मान्यता प्राप्त, संघर्ष वाले हीरों के व्यापार को रोकना, अर्थात् विद्रोही समूहों द्वारा वैध सरकारों के खिलाफ

सशस्त्र संघर्षों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे हीरों के व्यापार को रोकना।

● उत्पत्ति और कानूनी आधार:

- 1990 के दशक के दौरान अफ्रीका में संघर्षों के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार स्थापित।
- किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना (KPCS) 1 जनवरी 2003 को लागू हुई।
- यह कैसे काम करती है (KPCS): इसके तहत कच्चे हीरों की सभी खेपों के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं:
 - किसी केपी भागीदार देश द्वारा संघर्ष-मुक्त प्रमाणित होना।
 - छेड़छाड़-रोधी कंटेनरों में परिवहन किया जाना।
 - केवल केपी भागीदार देशों के बीच ही व्यापार किया जाना।
- **सदस्यता:** 60 प्रतिभागी, जिनमें यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों को एक प्रतिभागी के रूप में गिना जाता है।
 - केपी प्रतिभागियों का वैश्विक कच्चे हीरे के व्यापार में 99% से अधिक हिस्सा है।

भारत और किम्बरले प्रक्रिया

- भारत KPCS के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने इससे पहले वर्ष 2008 में KPCS की अध्यक्षता की थी।

स्रोत: [पीआईबी](#)

वीर बाल दिवस

संदर्भ

हर साल 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

वीर बाल दिवस के बारे में -

- यह प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है
- गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों बाबा ज्ञोरावर सिंह और बाबा फ़तेह सिंह की अतुलनीय वीरता और बलिदान की स्मृति में (अन्य दो ज्येष्ठ पुत्र—साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुजार

सिंह—ने 7 दिसंबर 1705 को चमकौर के युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया।)

- जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगलों ने पकड़ लिया और सरहिंद ले गए, जहां उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया।
- नतीजतन, सरहिंद के फौजदार ने उन्हें 13 दिसंबर 1705 को जिंदा दीवार में चुनवा कर शहीद कर दिया

स्रोत: [पीआईबी](#)

संथाली भाषा

संदर्भ

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा में भारत के संविधान का विमोचन किया।

संथाली भाषा के बारे में -

- **भाषा परिवार:** ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार, विशेष रूप से मुंडा शाखा से संबंधित है।
- **भौगोलिक प्रसार:** मुख्य रूप से झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बोली जाती है।
- **लिपि:** मुख्य रूप से ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है।
 - ओल चिकी की स्चना 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली को एक स्वतंत्र लिखित रूप देने के लिए की थी।
 - इससे पहले, संथाली बंगाली, उड़िया, देवनागरी और रोमन लिपियों का उपयोग करके लिखी जाती थी।
 - इसमें 30 अक्षर हैं, जिनके डिजाइन का उद्देश्य प्राकृतिक आकृतियों को उजागर करना है।
 - लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, और इसमें दो शैलियाँ हैं (प्रिंट चपा शैली और कर्सिव उसार शैली)।
- **संवैधानिक स्थिति:** संथाली भाषा को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।

स्रोत: [पीआईबी](#)

आकाश एनजी मिसाइल

संदर्भ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आकाश-न्यू जेमेशन (आकाश-एनजी) मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण (यूईटी) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

आकाश एनजी मिसाइल के बारे में -

- **पृष्ठभूमि और विकास:** आकाश मिसाइल समूह का हिस्सा, जिसे मूल रूप से डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) के तहत विकसित किया गया था।
 - आकाश-एनजी का विकास 2010 के दशक के मध्य में शुरू हुआ, साथ ही पहले के आकाश वेरिएंट को शामिल किया गया।
 - इसे मुख्य रूप से उन्नत हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **भूमिका और उद्देश्य:** छोटी से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली।
 - महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील क्षेत्रों को वायु रक्षा करने के लिए विकास करती है।
 - स्वायत्त या समूह मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को उलझाने में सक्षम।
- **आकाश-एनजी की मुख्य विशेषताएं:**
 - **विस्तारित रेंज:** 70 किमी तक (पहले आकाश के 27-30 किमी की तुलना में)।
 - **कैनिस्टरयुक्त मिसाइल प्रणाली:** सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित एवं वहीं से प्रक्षेपित, जिससे गतिशीलता, शेल्फ-लाइफ और तत्परता में वृद्धि होती है।
 - **उन्नत सीकर:** उच्च परिशुद्धता हेतु स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सीकर से सुसज्जित।
 - **उन्नत लक्ष्य प्रबंधन क्षमता:** कम रडार क्रॉस सेक्शन (RCS) वाले अत्यधिक गतिशील हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध प्रभावी।
 - **कॉम्पैक्ट ग्राउंड फुटप्रिंट:** पहले के वेरिएंट की तुलना में छोटा और अधिक तैनाती योग्य ग्राउंड सिस्टम।

- इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा: दुश्मन के जाम का विरोध करने के लिए अंतर्निहित इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर उपाय (ईसीसीएम)।

अन्य प्रमुख प्रकार

आकाश (बेसलाइन): भारतीय वायुसेना (2014) और भारतीय सेना (2015) में शामिल किया गया; ~ 96% स्वदेशी सामग्री।

आकाश प्राइम: बेसलाइन आकाश के समान रेज लेकिन बेहतर सटीकता के लिए एक स्वदेशी संक्रिय आरएफ सीकर के साथ फिट किया गया है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

प्राचीन वृत्ताकार पत्थर की भूलभूलैया

संदर्भ

पुरातत्वविदों ने महाराष्ट्र के सोलापुर के बोरामणी धास के मैदानों में भारत की अब तक की सबसे बड़ी वृत्ताकार पत्थर की भूलभूलैया की खोज की है।

वृत्ताकार पत्थर की भूलभूलैया के बारे में -

- **संरचना:** इसमें 15 संकेंद्रित पत्थर सर्किट शामिल हैं, जिन्हें उच्च ज्यामितीय परिशुद्धता के साथ उकेरा गया है।
- **आकार:** इसका माप लगभग 50 फीट × 50 फीट है, जो इसे भारत में खोजी गई सबसे बड़ी वृत्ताकार भूलभूलैया बनाता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - क्षेत्रफल के हिसाब से तमिलनाडु के गेंदिमेडु में स्थित 56 फुट वर्गाकार

भूलभूलैया (जिसमें केवल 11 वृत्त थे) के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी भूलभूलैया है।

- इसका आकार पूर्णतः वृत्ताकार है।
- विशेषज्ञ इस भूलभूलैया को सातवाहन काल से जोड़ते हैं।
- इस पर बने पैटर्न प्राचीन रोमन सिक्कों पर अंकित आकृतियों से मिलते-जुलते हैं, जो भारत-रोमन व्यापारिक संबंधों की ओर संकेत करते हैं।

स्रोत: [इंडिया टुडे](#)

सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना (SLHP)

संदर्भ

भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना, सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना अब परिचालन में आ गई है।


SLHP के बारे में -

- **अवस्थिति:** असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर गेझामुख में
- **निर्मित:** सुबनसिरी नदी पर
- **प्रकार:** कंक्रीट गुरुत्व बाँध (Concrete Gravity Dam)
- **स्वीकृति:** 2003
- **स्थापित क्षमता:** 2,000 मेगावाट

स्रोत: [डेक्कन हेराल्ड](#)

समाचार में व्यक्तित्व

स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती




समाचार? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी है।

स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बारे में (22 फरवरी 1856 - 23 दिसंबर 1926) -

- मूल नाम: मुंशी राम
- संबद्ध आंदोलन: स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज
- मुख्य योगदान:
 - हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक (1902)।
 - शुद्धि (पुनर्धर्मातरण) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ।
 - ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया जैसे रौलट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन आदि।

स्रोत: [न्यूज़ऑनएयर](#)



समाचार में स्थान

मिनामिटोरी द्वीप



समाचार? जापान ने मिनामिटोरी द्वीप के पास गहरे समुद्र तल से दूर्लभ मृदा से भरपूर मिट्टी का परीक्षण करने का फैसला किया है।

मिनामिटोरी द्वीप के बारे में -

- यह जापान का सबसे पूर्वी क्षेत्र है।
- भौगोलिक विशेषताएं:
 - केवल 1.51 वर्ग किमी के भूमि क्षेत्र के साथ एक समबाहु त्रिभुज के आकार का।
 - यह प्रशांत प्लेट पर स्थित एकमात्र जापानी क्षेत्र है, जो समुद्र तल से उठने वाले एक विशाल सीमाउंट के ऊपर बैठा है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

मुराक अल-कबीर बंदरगाह



समाचार? हाल ही में कुवैत और चीन ने मुआरक अल-कबीर बंदरगाह के निर्माण के लिए \$4.16 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

मुराक अल-कबीर पोर्ट के बारे में -

- उत्तरी कुवैत में बौबियान द्वीप पर स्थित है।
- सीमावर्ती क्षेत्र: खोर अब्दुल्ला जलमार्ग, इराक।
- स्थिति: निर्माणाधीन

स्रोत: [इकोनॉमिक टाइम्स](#)